

जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की जानकारी

वर्ष 2019-2020

✦ मध्यप्रदेश, शासन ✦

विभाग का नाम	▶ जेल विभाग
प्रभारी मंत्री	▶ श्री बाला बच्चन (25.12.2018 से निरंतर)


✦ सचिवालय ✦

अपर मुख्य सचिव	▶ श्री व्ही.सी. सेमवाल (01.04.2016 से 18.01.2019 तक)
प्रमुख सचिव	▶ श्री मलय श्रीवास्तव (15.01.2019 से 25.3.2019 तक)
	▶ श्री शिवनारायण मिश्रा (26.3.2019 से निरंतर)
सचिव	▶ श्री राजीव चन्द्र दुबे (14.07.2018 से निरंतर)
अपर सचिव	▶ श्री बाबूसिंह जामोद (09.12.2019 से निरंतर)
उप सचिव	▶ श्री गणेश शंकर मिश्रा (17.06.2019 से 15.9.2019 तक)
अवर सचिव	▶ श्री अजय नथानियल (07.11.2016 से निरन्तर)
अनुभाग अधिकारी	▶ श्री संतोष भार्गव (24.12.2016 से निरन्तर)

✦ विभागाध्यक्ष कार्यालय ✦


जेल महानिदेशक	▶ श्री संजय चौधरी (06.09.2016 से निरन्तर)
अतिरिक्त जेल महानिदेशक	▶ श्री सुधीर कुमार शाही (03.11.2016 से निरन्तर)
	▶ श्री जी. आर. मीना (07.12.2016 से निरन्तर)
जेल उप महानिरीक्षक	▶ डॉ. सुहेल अहमद (13.07.2007 से निरन्तर)
	▶ श्री संजय पाण्डे (09.11.2015 से निरन्तर)
	▶ श्री एम. आर. पटेल (09.11.2015 से निरन्तर)

जेल विभाग, मंत्रालय की विभागीय संरचना



जेल मुख्यालय की विभागीय संरचना

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं



भाग – एक

1. विभागीय संरचना

1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का कार्यालय जेल मुख्यालय के रूप में कार्यरत है।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन प्रदेश की केंद्रीय जेल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद तथा जिला जेल, रतलाम एवं शिवपुरी सर्किल जेलें हैं। सर्किल जेलों के अधीक्षकों का दायित्व अपने अधीनस्थ जेलों एवं वहां पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों, खुली जेलों एवं सब जेलों में बंदी आवास क्षमता 28718 है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में कुल 44603 बंदी परिरुद्ध हैं। इनमें दंडित बंदी 20253, विचाराधीन बंदी 24157 एवं अन्य बंदी 193 हैं। वर्ष के दौरान लगभग 1,55,000 बंदी प्रदेश की जेलों में प्रविष्ट/रिहा हुए।

केन्द्रीय जेलें (11)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं होशंगाबाद।

जिला जेलें (41)

अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, बैतूल, रतलाम, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, शाजापुर, सीधी, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिंड, पन्ना, विदिशा, खरगौन, रायसेन, मंडला, कटनी, नीमच, अशोकनगर, श्योपुरकलां, बैढ़न, उमरिया, हरदा, डिंडोरी, आगर, अनूपपुर एवं भोपाल।

सब जेलें (73)

कन्नौद, गरोट, जावरा, जोबट, तराना, नरसिंहगढ़, नागौद, पिपरिया, बुढ़ार, बेगमगंज, बिजावर, मंडलेश्वर, महिदपुर, मैहर, सबलगढ़, सरदारपुर, सिहोरा, सेंधवा, खाचरौद, पिछोर, अमरवाड़ा, मेहगांव, वारासिवनी, लवकुश नगर, बैहर, सिवनीमालवा, नसरुल्लागंज, सारंगपुर, सैलाना, बागली, देपालपुर, महु, लखनादौन, पाटन, कोलारस, गोहद, मुलताई, नौगांव, जावद, सांवेर, कसरावद, जतारा, जौरा, अम्बाह, निवाड़ी, डबरा, ब्यौहारी, करेरा, गौहरगंज, शुजालपुर, बरेली, हटा, लटेरी, गंजबासौदा, सेवड़ा, पोहरी, खुरई, सुसनेर, धरमपुरी, बड़वाह, मऊगंज, रहली, चाचौड़ा, बंडा, पवई, मनावर, लहार, बदनावर, महेश्वर, सोनकच्छ, विजयपुर, त्योथर एवं बड़नगर।

- **खुली जेलें** 06 होशंगाबाद, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर, भोपाल
- **क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान** 01 भोपाल
- **जेल प्रशिक्षण केन्द्र** 01 सागर

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण (जेलों का सर्किलवार विवरण)

1. इंदौर सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, इंदौर
2. जिला जेल, इंदौर
3. जिला जेल, धार
4. जिला जेल, खंडवा
5. खुली जेल, इंदौर
6. सब जेल, सरदारपुर
7. सब जेल, महु
8. सब जेल, देपालपुर
9. सब जेल, सांवेर
10. सब जेल, बड़वाह

2. बड़वानी सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, बड़वानी
2. जिला जेल, अलीराजपुर
3. जिला जेल, खरगोन
4. सब जेल, जोबट
5. सब जेल, मंडलेश्वर
6. सब जेल, सेंधवा
7. सब जेल, कसरावद
8. सब जेल, धरमपुरी
9. सब जेल, मनावर
10. सब जेल, महेश्वर

3. उज्जैन सर्किल : (12)

1. केन्द्रीय जेल, उज्जैन
2. जिला जेल, शाजापुर
3. जिला जेल, देवास
4. जिला जेल, आगर
5. सब जेल, महिदपुर
6. सब जेल, तराना
7. सब जेल, बागली
8. सब जेल, सुसनेर
9. सब जेल, सोनकच्छ
10. सब जेल, शुजालपुर
11. सब जेल, कन्नौद
12. सब जेल, बड़नगर

4. ग्वालियर सर्किल : (13)

1. केन्द्रीय जेल, ग्वालियर
2. जिला जेल, मुरैना
3. जिला जेल, भिंड
4. जिला जेल, दतिया
5. सब जेल, अम्बाह
6. सब जेल, सबलगढ़
7. सब जेल, डबरा
8. सब जेल, गोहद
9. सब जेल, मेहगांव
10. सब जेल, लहार
11. सब जेल, जौरा
12. सब जेल, विजयपुर

13. सब जेल, सेवदा

5. सागर सर्किल : (11)

1. केन्द्रीय जेल, सागर
2. जिला जेल, दमोह
3. जिला जेल, टीकमगढ़
4. खुली जेल, सागर
5. सब जेल, बेगमगंज
6. सब जेल, जतारा
7. सब जेल, निवाड़ी
8. सब जेल, हटा
9. सब जेल, खुरई
10. सब जेल, रहली
11. सब जेल, बंडा

6. नरसिंहपुर सर्किल : (8)

1. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर
2. जिला जेल, छिंदवाड़ा
3. जिला जेल, सिवनी
4. जिला जेल, बालाघाट
5. सब जेल, बैहर
6. सब जेल, वारासिवनी
7. सब जेल, अमरवाड़ा
8. सब जेल, लखनादौन

7. जबलपुर सर्किल : (7)

1. केन्द्रीय जेल, जबलपुर
2. जिला जेल, मंडला
3. जिला जेल, कटनी
4. जिला जेल, डिंडोरी
5. खुली जेल, जबलपुर
6. सब जेल, पाटन
7. सब जेल, सिहोरा

8. भोपाल सर्किल : (11)

1. केन्द्रीय जेल, भोपाल
2. खुली जेल, भोपाल
3. जिला जेल, भोपाल
4. जिला जेल, राजगढ़
5. जिला जेल, सीहोर
6. जिला जेल, रायसेन
7. जिला जेल, विदिशा
8. सब जेल, सारंगपुर
9. सब जेल, नरसिंहगढ़
10. सब जेल, लटेरी
11. सब जेल, गंजबासौदा

9. होशंगाबाद सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड अ)
केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड ब)
2. खुली जेल, होशंगाबाद
3. जिला जेल, बैतूल
4. जिला जेल, हरदा
5. सब जेल, पिपरिया

6. सब जेल, सिवनीमालवा

7. सब जेल, मुलताई
8. सब जेल, नसरुल्लागंज
9. सब जेल, गौहरगंज
10. सब जेल, बरेली

10. सतना सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, सतना
2. जिला जेल, छतरपुर
3. जिला जेल, पन्ना
4. खुली जेल, सतना
5. सब जेल, नागौद
6. सब जेल, बिजावर
7. सब जेल, लवकुश नगर
8. सब जेल, नौगांव
9. सब जेल, मैहर
10. सब जेल, पवई

11. रीवा सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, रीवा
2. जिला जेल, शहडोल
3. जिला जेल, सीधी
4. जिला जेल, उमरिया
5. जिला जेल, बैढन
6. जिला जेल, अनूपपुर
7. सब जेल, व्यौहारी
8. सब जेल, बुढ़ार
9. सब जेल, मऊगंज
10. सब जेल, त्योंथर

12. शिवपुरी सर्किल : (9)

1. जिला जेल, शिवपुरी
2. जिला जेल, श्योपुर
3. जिला जेल, गुना
4. जिला जेल, अशोकनगर
5. सब जेल, करेरा
6. सब जेल, कोलारस
7. सब जेल, पिछोर
8. सब जेल, पोहरी
9. सब जेल, चाचौड़ा

13. रतलाम सर्किल : (10)

1. जिला जेल, रतलाम
2. जिला जेल, मंदसौर
3. जिला जेल, नीमच
4. जिला जेल, झाबुआ
5. सब जेल, जावरा
6. सब जेल, खाचरौद
7. सब जेल, जावद
8. सब जेल, बदनावर
9. सब जेल, गरोट
10. सब जेल, सैलाना

1.4 विभाग के दायित्व:

1. विभाग का दायित्व न्यायालय द्वारा विभिन्न स्वरूप के कारावास से दंडित व्यक्ति को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर, उसकी दंडावधि को यथा सम्भव व्यावसायिक प्रशिक्षण काल में व्यतीत कराना तथा बंदियों की समुचित सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बंदी दंडावधि व्यतीत कर जेल से मुक्त होने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना शेष जीवन कानून प्रिय नागरिक की तरह व्यतीत कर सके।

2. न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आदेशित किया जाता है, उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:

1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार :

- (1) वर्ष 2019 में महानिदेशक जेल के आदेश से **आपात पैंरोल** पर रिहा हुये बंदियों की संख्या **17** है।
- (2) वर्ष 2019 में महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किये गये **पश्चातवर्ती अवकाश** प्रकरणों के अंतर्गत जेलों से अवकाश हेतु मुक्त किये गये बंदियों की संख्या **3979** है।
- (3) वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर **163** बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (4) वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर **185** बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (5) वर्ष 2019 में राज्य परिवीक्षा मंडल की अनुशंसा के पश्चात शासनादेशानुसार प्रोबेशन लायसेंस पर मुक्त हुए बंदियों की संख्या **01** है।

1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण:

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु **क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल** में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए **जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर** में स्थापित है। इसके अतिरिक्त **मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी** तथा राज्य में स्थित राज्य एवं केन्द्र शासन के प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस संबंध में म.प्र. पुलिस एवं केंद्रीय पैरामिलिट्री बलों से भी सहयोग प्राप्त किया गया।

जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी से दिसम्बर की अवधि में निम्नानुसार अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किये गये :

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
(अ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
— आधारभूत प्रशिक्षण (अधीक्षक/सहायक जेल अधीक्षक (बी.एस.एफ. टेकनपुर, ग्वालियर)	05 माह	13
— आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, चन्दूखेड़ी, भोपाल)	05 माह	83
— आधारभूत प्रशिक्षण (महिला प्रहरी) (पी.टी.सी., इंदौर)	05 माह	235
— आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (B.S.F., टेकनपुर, ग्वालियर की E & F कंपनी में संचालित)	05 माह	296
— आधारभूत प्रशिक्षण (भूतपूर्व सैनिक कोटे से) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	45 दिवस	50

— जेल मुख्यालय में कर्मचारियों को इंडक्शन कोर्स व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण	30 दिवस	19
(ब) अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
— रिफ्रेशर कोर्स (सहायक जेल अधीक्षक) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	04 दिवस	40
— फाउण्डेशन कोर्स (अधिकारी/कर्मचारी) (प्रशासन अकादमी, भोपाल)	एक सप्ताह	20
— BPR&D द्वारा संचालित प्रशिक्षण (अधिकारियों) (सी. ए. पी. टी. भोपाल)	06 दिवस	12
— BPR&D द्वारा संचालित प्रशिक्षण (जेल मुख्यालय, भोपाल)	03-03 दिवस (तीन बार)	70
— जेल मुख्यालय, म.प्र. में ई-प्रिजन से संबंधित प्रशिक्षण	01 दिवसीय	20
(स) बी.पी.आर.एण्ड डी.,नई दिल्ली के सौजन्य से प्रशिक्षणों का आयोजन		
— 6th National Conference of Heads of Prisons of States and UTs on Prison Reforms	02 दिवस	160
— 2nd National Conference on Uniformed Women in Prison Administration	02 दिवस	180

योग

1198

1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों की पेशियां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई है। इस व्यवस्था के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु उपकरण उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये है। सभी जेलों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों का निर्माण जेल विभाग द्वारा कराया गया है। वर्ष 2019 में बंदियों की कुल 3,75,357 पेशियां अदालत में हुई, इनमें से 2,06,750 पेशियां (55.08%) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा शेष 1,68,607 पेशियां (44.92%) पुलिस बल द्वारा कराई गई।

1.5.4 ई-प्रिजन कार्यक्रम

प्रदेश की सभी 11 केन्द्रीय जेलों, 30 जिला जेलों (जिला जेल रतलाम, शिवपुरी, सिवनी, दतिया, मुरैना, भिंड, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, नीमच, मंदसौर, देवास, आगरमालवा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर, धार, खण्डवा, शहडोल, सीधी, बैतूल, कटनी, मण्डला, गुना, अशोकनगर, बैढन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा तथा शाजापुर) एवं 07 सब जेलों (लखनादौन, बेगमगंज, करैरा, डबरा, अम्बाह, वारासिवनी एवं महु) सहित कुल 48 जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें पी.एम.एस. एवं व्ही.एम.एस. कार्य किया जा रहा है। जेलों में ई-प्रिजन हेतु आवश्यक कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण प्रदाय किये जा चुके हैं। जेलों में लीगेसी डाटा की प्रविष्टि हेतु पृथक से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराये गये है। आगामी वित्तीय वर्ष में समस्त जेलों में ई-प्रिजन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

1.5.5 ई-प्रिजन लैब

जेलों के कर्मचारियों को ई-प्रिजन तथा अन्य कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जेल मुख्यालय, भोपाल में माह अक्टूबर 2019 में ई-लैब प्रारंभ की गई। उक्त लैब में कर्मचारियों को बेसिक ई-प्रिजन, एडवांस ई-प्रिजन, बेसिक कम्प्यूटर तथा एडवांस कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान

किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ई-प्रिजन बेसिक के 06 प्रशिक्षण, ई-प्रिजन एडवांस के 03 एवं कम्प्यूटर बेसिक के 05 प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिसमें क्रमशः 133, 69 तथा 134 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

1.5.6 इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग

जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु 07 केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 07 जेलों पर इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग का कार्य प्रचलन में है तथा 06 जेलों पर फेंसिंग का कार्य होना प्रस्तावित है।

1.5.7 जेल मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना

राज्य में जेलों की स्थितियों की निरंतर निगरानी हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें 17 जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की सतत निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सुरक्षा संबंधी घटनाओं की वर्गीकरण अनुसार तत्काल रिपोर्टिंग की जाती है तथा दैनिक स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

1.5.8 तकनीकी शाखा

जेल विभाग में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जेल मुख्यालय में एक नवीन शाखा "तकनीकी उपकरण एवं सेवाएं शाखा" (TESS) स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत ई-प्रिजन, सी.सी.टी.वी., वीडियो कान्फ्रेंसिंग, आई-टी तथा तकनीकी उपकरण आदि से संबंधी कार्य किया जा रहा है।

1.5.9 विधिक सहायता

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली याचिकाओं में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विधि अधिकारी ऐसे निर्धन बंदियों के आवेदन पत्रों को जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत करते हैं, जहां से बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं, ताकि बंदियों को नियमों की जानकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। विगत वर्ष प्रदेश की जेलों में विधिक सहायता शिविर लगाकर 6188 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

1.5.10 स्वास्थ्य परीक्षण

प्रदेश की जेलों में निरूद्ध होने वाले प्रत्येक बंदी का प्रतिमाह नियमित रूप से जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिमाह बंदियों के किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षणों के प्रतिवेदन आयोग द्वारा की गई अनुशंसानुसार जेलों से निर्धारित प्रपत्र में जेल मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। वर्ष 2019 में कुल 4,48,837 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।

1.5.11 जेलों में निरूद्ध बंदियों को पारिश्रमिक

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को जेलों में श्रम कार्यों में लगाया जाता है। मध्यप्रदेश की जेलों में निरूद्ध बंदियों के सश्रम कारावास के दौरान किये गये कार्यों के लिये देय पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बंदियों की श्रेणी	पारिश्रमिक दर
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 120.00
2.	जेल / उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 72.00
3.	कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए (प्रति बंदी 06 घंटे के कार्य हेतु)	रुपये 72.00

पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित करने हेतु आयोजित बैठक में यह प्रस्तावित किया गया था कि भविष्य में बंदियों की पारिश्रमिक राशि को समय-समय पर जारी मूल्य सूचकांक (Price Index) से जोड़ दिया जाये, जिससे पारिश्रमिक दर में स्वतः वृद्धि हो जायेगी, उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वर्ष 2019 में बंदियों को कुल रूपये **5,24,76,866 /-** की पारिश्रमिक राशि प्रदाय की गई है।

1.5.12 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा

प्रदेश की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में बंदियों को बाहर से आने वाले दूरभाष (इनकमिंग फोन) की सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को दूरभाष की सुविधा एक बार में अधिकतम वार्तावधि 05 मिनट के लिए प्रदान की जाती है। बंदियों को दूरभाष की सुविधा कार्यालयीन समय में प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ प्राप्त कर बंदी अपने परिवारजनों से दूरभाष पर वार्तालाप कर सकते हैं।

1.5.13 जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों एवं कुछ जिला जेलों में जहाँ लम्बी सजा अवधि वाले बंदियों को रखा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न इकाईयाँ संचालित हैं। वर्ष 2019 में 2784 बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रशिक्षण हेतु बुनाई, सूती दरी, आसन, कालीन, बढईगिरी, प्रिंटिंग उद्योग, सिलाई उद्योग, लौहारी उद्योग, बर्तन उद्योग, पावरलूम, सीमेंट के उत्पाद (गमले, पेवर टाइल्स, जाली एवं चेरर) चित्रकला एवं काष्ठकला जैसे उद्योग चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश की जेलों में वर्ष के दौरान कृषि एवं बागवानी से कुल रूपये 16,72,268 /- एवं जेल उद्योगों से रूपये 2,60,52,801 /- का राजस्व प्राप्त हुआ।

1.5.14 आधुनिक मुलाकात व्यवस्था

प्रदेश की जेलों में टफन ग्लास लगाकर इंटरकॉम के माध्यम से आधुनिक मुलाकात व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जो कि सुरक्षित होने के साथ ही सुविधाजनक भी है। प्रदेश की 124 जेलों में से 77 जेलों में आधुनिक मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं शेष जेलों में यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी।

1.5.15 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण :

प्रदेश की जेलों में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) के मापदंड अनुसार केन्द्रीय जेल, उज्जैन, भोपाल, जिला जेल बैतूल एवं धार में आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय जेल उज्जैन में पुरुष बंदियों हेतु 04 ट्रेडों (इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, टू-व्हीलर मैकेनिक एवं ट्रैक्टर मैकेनिक) में 32 बंदियों, जिला जेल बैतूल में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 19 बंदियों एवं जिला जेल धार में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 16 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला बंदियों हेतु 04 ट्रेड (ओल्ड एज केयर, कटिंग एवं सिलाई, एम्ब्रॉयडरी एण्ड नीडल वर्क एवं बेसिक कार्स्मेटोलॉजी ट्रेड) स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश की केन्द्रीय जेल ग्वालियर में बढई, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, पावरलूम, लौहारी, दरी एवं कम्बल उद्योग में 228 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल उज्जैन के अंतर्गत केन्द्रीय जेल उज्जैन में पावरलूम, कम्बल, सिलाई, बुनाई, ऑफसेट प्रिंटिंग, लौहारी, बढई, मूर्ति एवं छपाई में 320 बंदियों, जिला जेल शाजापुर में बढई उद्योग में 9 बंदियों एवं जिला जेल देवास में सिलाई, बढई एवं लौहारी उद्योग में 20 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सागर में सिलाई, बुनाई, बढई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं हथकरघा उद्योग में 449 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल रीवा के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रीवा में बुनाई, प्रिंटिंग प्रेस, बढई, लौहारी, पावरलूम, हथकरघा, दरी बुनाई एवं सिलाई उद्योग में 192 बंदियों, जिला जेल शहडोल में सिलाई उद्योग में 03 बंदियों एवं जिला जेल सीधी में सिलाई, बढई एवं लौहारी उद्योग में 55 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल नरसिंहपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में काष्ठकला, फ़ैब्रीकेशन, बुनाई, सिलाई, कम्बल, पावरलूम एवं प्रिंटिंग प्रेस में 65 बंदियों एवं जिला जेल सिवनी में सिलाई कार्य में 08 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल इंदौर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में लेदर, सिलाई, पावरलूम, बढई, प्रिंटिंग प्रेस, स्टील, वेल्डिंग एवं बुनाई में 252 बंदियों तथा जिला जेल इंदौर में ब्लॉक प्रिंटिंग, बेकरी उद्योग में 16 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल होशंगाबाद के अंतर्गत केन्द्रीय जेल होशंगाबाद में पावरलूम, बढई, सिलाई, एवं कम्बल उद्योग में 39 बंदियों, जिला जेल बैतूल में सिलाई एवं अगरबत्ती प्रशिक्षण में 52 एवं जिला जेल हरदा में सिलाई उद्योग में 03 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल जबलपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल जबलपुर में बुनाई, सिलाई, लौहारी एवं ऑफसेट प्रिंटिंग, टीवी रिपेयरिंग, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, कुकिंग, बेकरी एवं अचार बनाने में 286 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सतना में बढई, प्रिंटिंग, सिलाई, बुनाई, कम्बल एवं बांस उद्योग में 372 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल बड़वानी में पावरलूम, सिलाई, बढई, स्क्रीन प्रिंटिंग, फैब्रीकेशन एवं इलेक्ट्रिक बाईंडिंग उद्योग में 149 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल शिवपुरी के अंतर्गत जिला जेल श्योपुर में सिलाई कार्य में 10 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस, चप्पल, लौहारी, बढई, कम्बल, पेंटिंग, बुनाई, सिलाई पावरलूम एवं गुड़िया उद्योग में 254, जिला जेल सीहोर में सिलाई एवं बुनाई उद्योग में 02 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.5.16 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा:

इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की केन्द्रीय जेल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, सागर, नरसिंहपुर, सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, जिला जेल शहडोल, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में निःशुल्क अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू के माध्यम से बैचलर प्रिपेरेटरी प्रोग्राम (बी.पी.पी.), बैचलर डिग्री प्रोग्राम (बी.डी.पी.), सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेन्ट (सी.आर.डी.), सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन (सी.एफ.एन.), सर्टिफिकेट इन एच.आई.व्ही. एण्ड फैमिली एजुकेशन (सी.ए.एफ.ई.), बी.ए, बी.कॉम., एम.ए. एवं एम.बी.ए. के कोर्स संचालित हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू की ओर से पाठ्यसामग्री व प्राध्यापक उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2019 के दौरान इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 2107 परीक्षार्थी (बंदी) शामिल हुए।

1.5.17 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा :

प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है। जेल विभाग द्वारा समस्त निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएँ चलाई जाती हैं। पहले से शिक्षित बंदियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। जो बंदी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तथा समस्त व्यय एवं पुस्तकें विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक/सहायक शिक्षक के 62 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 57 पद भरे हैं। वर्ष 2019 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 2144 बंदियों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हिन्दी राष्ट्र भाषा परीक्षा में 320 बंदी शामिल हुए। वर्ष 2019 में 8544 दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाया गया।

— *** —

विशेष कार्यक्रम

1.5.18 सांस्कृतिक कार्यक्रम:

प्रदेश की जेलों में वर्ष 2019 में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समय-समय पर बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

- ◆ केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 25.8.2019 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित झाँकी प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जेल विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।

- ◆ प्रदेश की जेलों में ईद-उल-फितर के अवसर पर परिरुद्ध मुस्लिम धर्मावलम्बी बंदियों को सामूहिक नमाज सम्पन्न कराई गयी, रक्षा बंधन के अवसर पर जेल में परिरुद्ध बंदियों को उनकी बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया एवं दीपावली के त्योहार पर बंदियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

- ◆ गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेलों द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जेल विभाग की उपलब्धियों पर झांकियां निकाली जाती है। 26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में केन्द्रीय जेल, उज्जैन तथा केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर की झांकियों को प्रथम स्थान, केन्द्रीय जेल, इंदौर, केन्द्रीय जेल, सतना तथा केन्द्रीय जेल, सागर की झांकियों को द्वितीय स्थान तथा केन्द्रीय जेल, रीवा की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

- ◆ जेलों में बंदियों को उनके परिजनों से विशेष त्यौहारों के अवसर पर आमने सामने बैठकर मुलाकात करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उक्त सुविधा का बंदियों पर सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2019 में प्रदेश की जेलों में भाईदूज (होली) पर 6570 बंदियों, ईद उल फितर पर 4207 बंदियों, रक्षाबंधन पर 20810 बंदियों, ईद उल अजहा पर 679 बंदियों एवं भाईदूज (दिवाली) पर 7522 बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई।

- ◆ केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना एवं नरसिंहपुर में इन हाउस रेडियो स्टेशन (जेलवाणी) द्वारा निरंतर प्रसारण किया जा रहा है।

1.5.19 आध्यात्मिक कार्यक्रम :

प्रदेश की जेलों में बंदियों के बौद्धिक विकास एवं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1.5.20 योग प्रशिक्षण:

प्रदेश की जेलों में बंदियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के उद्देश्य से बंदियों हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास एवं समय-समय पर योग शिविरों का आयोजन किया गया।

जिला जेल रतलाम में 12 जनवरी 2019 को स्वामी विवेकानंद की 156 वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया एवं सूर्य नमस्कार कराया गया। दिनांक 13.12.2019 को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 06 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय जेल, सतना में दिनांक 10.2.2019 को भारतीय मानवाधिकार एसोसियेशन, दिल्ली के तत्वाधान में बंदियों को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, मौन, हास्य योगों का अभ्यास कराया गया। दिनांक 20.6.2019 को पंतजलि योग समिति, सतना के द्वारा योगाभ्यास कराया गया।

केन्द्रीय जेल, ग्वालियर में दिनांक 28.7.2019 से 5.8.2019 तक भारत स्वाभिमान समिति, ग्वालियर द्वारा 07 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिनांक 1.8.2019 से 5.8.2019 तक पतंजलि योग समिति, शाखा ग्वालियर द्वारा 5 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय जेल, जबलपुर में दिनांक 1.2.2019 को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 70 बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, उज्जैन में दिनांक 12.1.2019 को सहज योग संस्था, उज्जैन के डॉ. एलम सिंह व उनके सहयोगी द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 21.6.2019 को योग प्रशिक्षक श्री पंकज शर्मा के द्वारा बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 9.12.2019 से दिनांक 15.12.2019 तक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, भोपाल द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया।

1.5.21 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति:

प्रदेश की केन्द्रीय जेल—भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं नरसिंहपुर तथा जिला जेल—शाजापुर एवं देवास की गौशालाओं में 1620 गोवंश उपलब्ध है।

1.6 विभाग की प्राथमिकताएं :

1. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन।
2. आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना।
3. जेलों में अतिसंकुलता दूर करने के लिए बंदी आवास क्षमता में वृद्धि।
4. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
5. बंदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु आजीविका मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना।
6. जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार करना।
7. बंदियों एवं कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, पाकशाला, स्वच्छता, जल—प्रबंधन, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेल वातावरण में सुधार करना।
8. बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण।
9. बंदियों के विभिन्न तनावों को दूर करने हेतु प्रशिक्षण/सलाह देकर उनके जेल प्रवास को यथासम्भव तनावमुक्त एवं सुधारोन्मुख बनाना।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या :

(दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में)

क्र.	जेल श्रेणी	संख्या	आवास क्षमता			परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	केन्द्रीय जेल	11	13349	711	14060	22519	1006	23525
2.	जिला जेल	41	8697	728	9425	13658	713	14371
3.	खुली जेल	06	90	—	90	85	—	85
3.	सब. जेल	73	4709	434	5143	6583	39	6622
योग		131	26845	1873	28718	42845	1758	44603

1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण :

क्र.	विवरण	परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
		31 दिसम्बर 2017	31 दिसम्बर 2018	31 दिसम्बर 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परिरुद्ध बंदियों की संख्या	38708	42057	44603
2.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	37.13	47.05	55.31

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण :

क्र.	विवरण	31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में		
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	दंडित बंदी	16622	651	17273	17913	713	18626	19464	789	20253
2.	विचाराधीन बंदी	20537	731	21268	22329	794	23123	23189	968	24157
3.	अन्य बंदी	167	00	167	306	02	308	192	01	193
	योग	37326	1382	38708	40548	1509	42057	42845	1758	44603

1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण :

क्र.	उम्र	31 दिसम्बर 2017			31 दिसम्बर 2018			31 दिसम्बर 2019		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	18 वर्ष से 21 वर्ष	4268	93	4361	4852	69	4921	4673	68	4741
2.	21 वर्ष से 30 वर्ष	14812	439	15251	15367	395	15762	17124	428	17552
3.	30 वर्ष से 50 वर्ष	15015	637	15652	15262	712	15974	16726	929	17655
4.	50 वर्ष से अधिक	3231	213	3444	5067	333	5400	4322	333	4655
	योग	37326	1382	38708	40548	1509	42057	42845	1758	44603

भाग - दो

2.1 बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग में अधिकांश खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है, जैसे – बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं जिनका आधार कोई निश्चित धनराशि नहीं है, अपितु इनका स्केल निर्धारित है। नियमों के अधीन बंदियों के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर बंदियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यय भी बढ़ जाता है।

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय:-

पिछले सालों में जेल विभाग का बजट प्रस्ताव राशि, स्वीकृत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रस्तावित बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	(रूपये लाखों में)	
				अधिक (+) बचत (-)	
1	2	3	4	5	
2015-2016	29187.36	28741.62	25871.81	(-) 2869.81	
2016-2017	35659.65	34235.82	30355.79	(-) 3880.03	
2017-2018	41528.61	29736.27	29268.67	(-) 467.60	
2018-2019	36129.26	34917.85	32876.09	(-) 2041.76	
2019-2020	40511.48	40469.71	26899.11		(31.12.2019 की स्थिति में)

वर्ष 2019-2020 के लिये प्राप्त बजट में से विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में निम्नानुसार है:

क्र. मद	व्यय राशि (रूपये में)
1. वेतन, भत्ते आदि	1787263768
2. कार्यालय व्यय	100617194
3. सफाई	24110595
4. विशेष सेवाओं हेतु मानदेय (बंदी पारिश्रमिक)	54747340
5. स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण (भवन मरम्मत)	19171618
6. वाहन (मरम्मत)	1449017
7. दवाईयां क्रय	45770199
8. राशन का मूल्य (भोजन व्यय)	488106413
9. कपड़े, बिस्तर तथा टेंट्स	28018057
10. अन्य प्रभार (बंदी परिवहन, परीक्षा, प्रशिक्षण मदों में)	4523559
11. अन्य शेष मदों में	136133563
योग	2689911323

भाग - तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं:

वार्षिक योजना 2019-2020

वार्षिक योजना 2019-20 में शीर्ष 5044 के तहत प्रदेश की जेलों में फोटो कॉपियर, हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन, कलर प्रिटर, स्ट्रेचर, मुलाकात हेतु इन्टरकॉम सिस्टम, ऑटो एनालाईजर, सायरन, एस. एस. किचन, बैटन, प्रिटर, आटा गूथने की मशीन, जनरेटर, ई-रिक्शा, फायर फायटिंग उपकरण, वाटर प्यूरीफायर (अस्पताल हेतु), एयर कूलर, यू.पी.एस., ई.पी.बी. एक्स. (इन्टरकॉम हेतु), सोलर प्लांट हेतु बैटरी, कम्प्यूटर, पेशेन्ट एग्जामिनेशन टेबिल, ताले, फलाई कैचर, पी.ए. सिस्टम, चार्जबल टार्च, व्हील चेयर, मल्टीफंक्शन प्रिटर, स्कैनर एवं लैपटॉप उपलब्ध कराए गए।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:

प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन संचालित करने हेतु एम.एच.ए. भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके तहत जेलों में परिरुद्ध बंदियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में एम.एच.ए. भारत सरकार से रुपये 230.00 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिसका स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर 37 जेलों पर ई-प्रिजन परियोजना प्रारंभ कराई गई। सभी जेलों पर आई.सी.टी. सेटअप, नेट कनेक्टिविटी एवं डाटा एंट्री आपरेटर उपलब्ध कराये गये। जेल मुख्यालय में ई-प्रिजन लैब स्थापित कराई गई, जिसमें जेल स्टाफ को ई-प्रिजन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एम.एच.ए. भारत सरकार से वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 335.00 लाख की स्वीकृति ई प्रिजन कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुई है, उक्त राशि स्टेट बजट में वर्ष 2020-21 में विभाग को प्राप्त होगी, जिससे शेष जेलों पर ई-प्रिजन हेतु आई.सी.टी. सेटअप (हार्डवेयर) उपलब्ध कराया जायेगा।

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं / विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजना की जानकारी निरंक है।

राज्य योजना :

1. केन्द्रीय जेल, भोपाल परिसर में 08 बंदी क्षमता वाली खुली जेल प्रारंभ की गई।
2. पर्सपेक्टिव प्लान के अधीन निर्माणाधीन नवीन जेल, भिंड का कार्य प्रगति पर है।
3. जेलों में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा निर्माण कार्य कराये गये जिनमें खंडवा, महू में गार्डरूम, बालाघाट, खंडवा, जेल मुख्यालय, महू में सी.सी.टी.व्ही. कंट्रोल रूम, इंदौर, खंडवा में बैरक निर्माण, सागर एवं होशंगाबाद में अष्टकोण वॉच टावर प्रमुख हैं। ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। केन्द्रीय जेल, भोपाल में अंडासेल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं 100 बिस्तरों वाले गार्ड रूम का कार्य अंतिम चरण में है।
4. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली कालोनी हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 11.10.2019 को राशि रुपये 227.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य प्रारंभ होकर प्रगति पर है।
5. केन्द्रीय जेल सागर में पी.पी.पी. मॉडल के तहत बंदियों को सूती साड़ियां बनाने का प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है।

6. छिन्दवाड़ा में नए जेल कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राशि रूपये 224.68 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश में पहली बार एक ही परिसर में केन्द्रीय जेल, जिला जेल एवं खुली कॉलोनी स्थित होगी। निर्माण कार्य प्रारंभ हो कर प्रगति पर है।
7. वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 14 जेलों में 22 वर्कशॉप बैरकों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु वर्ष 2019-20 के बजट में राशि रूपये 4.80 करोड़ प्रावधानित है। बैरकों का निर्माण प्रगति पर है।

3.3 अन्य योजनाएं :-

प्रतिकर योजना :

जेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई, अपराधों के पीड़ित परिवारों को प्रतिकर राशि देने की योजना प्रशासन की अभिनव योजना है, जिसके अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये गये काम के बदले दी जाने वाली कुल मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि बनाकर कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में कोषालय में जमा की जा रही है। इस सामान्य निधि की राशि का उपयोग पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर दिये जाने में किया जाता है। शासन द्वारा पीड़ित की पात्रता का निर्धारण एवं संबंधित परिवार को प्रतिकर की राशि वितरित करने के लिए जेलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक-सदस्य एवं संबंधित जेल अधीक्षक-सदस्य सचिव बनाये गये हैं। शासन के आदेशानुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एवं चिन्हित धाराओं, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, के बंदियों से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में प्रतिकर की राशि देय होगी। मध्यप्रदेश जेल नियमावली 1968 की कंडिका 647 में संशोधन मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा 18 जून 2019 को किये गये हैं। नए नियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलन है।

भाग - चार सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोग:

जेल विभाग में वर्ष 2019-20 में किसी भी प्रकार की जांच समिति गठित नहीं हुई है।

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

(अ) बंदियों से संबंधित:	जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 21
	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 18
(ब) कर्मचारियों से संबंधित:	जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 33
	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 20
(स) विभागीय जांच:	

पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष
58	42	27	73

भाग - पांच अभिनव प्रयास

5.1 अभिनव प्रयास

1. पी.पी.पी. मॉडल के तहत उद्योगों की स्थापना :

केन्द्रीय जेल, सागर में पी. पी. पी. मॉडल के अंतर्गत सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ संस्था के माध्यम से बंदियों को हथकरघा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवनिर्मित कार्यशाला में 54 हैंडलूम तथा 02 प्रशिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं। संस्था द्वारा कच्चा माल प्रदाय किया जाता है, तथा धोती, साड़ी तथा रूमाल का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य में 100 बंदी नियोजित हैं।

2. जेल प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन :

बी.पी.आर. एण्ड डी. व जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों का छठवां राष्ट्रीय सम्मेलन सी.ए.पी.टी., भोपाल में दिनांक 26-27 फरवरी 2019 को सम्पन्न हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन के 09 सत्रों में जेल प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई जिनमें जेल सुधार की वर्तमान स्थिति, जेल प्रशासन में आने वाली समस्याएं व उनके समाधान जैसे विषय सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में लगभग 160 प्रतिभागी थे, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों से आये जेल प्रमुख, एन.जी.ओ., शैक्षणिक संस्थानों, विधि एवं अपराध शास्त्र के छात्र शामिल हैं। यह राष्ट्रीय सम्मेलन प्रथम बार दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में आयोजित हुआ।

3. जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिला विषय पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन :

बी.पी.आर. एण्ड डी. व जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से वर्दीधारी जेल महिला अधिकारियों/कर्मचारियों का "जेल प्रशासन में वर्दीधारी महिलाएं" विषय पर द्वितीय राष्ट्रीय

सम्मेलन 19-20 दिसम्बर 2019 को सी.ए.पी.टी., भोपाल में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों से आये लगभग 170 प्रतिभागी थे, जिनमें जेल अधिकारी, एन.जी.ओ., शैक्षणिक संस्थानों, विधि एवं अपराध शास्त्र के छात्र शामिल हैं। दो दिवसीय सम्मेलन के 06 सत्रों में जेल में कार्यरत वर्दीधारी महिला अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई। प्रथम बार किसी राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में महिला प्रहरी से लेकर महानिदेशक स्तर के जेल अधिकारियों/ जेल कर्मियों ने भाग लिया।

4. खुली जेलों का निर्माण :

प्रदेश की जेलों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग कम करने, बंदियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में सहायता करने तथा शासन के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से 10 खुली जेलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी जिसमें से 06 खुली जेलें, खुली कॉलोनी होशंगाबाद, इंदौर, सागर, जबलपुर, भोपाल एवं सतना प्रारंभ की जा चुकी हैं।

5. जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण :

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग करने, वॉच टावर तथा गार्ड रूम बनाने, हाईमास्ट से प्रकाश करने के अभिनव कार्य स्वीकृत किए गए।

6. जेल कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण :

म0प्र0 जेल विभाग में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण संस्थान का अभाव है जबकि वर्दीधारी सुरक्षा विभाग में निरन्तर सजगता, सतर्कता, अनुशासन एवं अद्यतन तकनीकी ज्ञान के साथ शारीरिक, मानसिक रूप से स्फूर्तिवान होना अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः प्रभावी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। नवनियुक्त जेल अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों एवं जेल प्रहरियों को बी.एस.एफ., टेकनपुर, पी.टी.सी., इंदौर एवं जेल प्रशिक्षण संस्थान में प्रभावी शारीरिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह का प्रावधान :

म0प्र0 जेल विभाग में सकारात्मक कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। अतः जेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने एवं मनोबल वृद्धि के उद्देश्य से "जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह" प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

8. कल्याण कोष की स्थापना :

जेल विभाग के लगभग दस हजार जेल कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ शासन स्वीकृति प्राप्त कर जेल कल्याण कोष की स्थापना जेल मुख्यालय एवं प्रत्येक इकाई पर की गई है। इसमें प्रतिवर्ष जेल कर्मी अपने वेतन का 1 प्रतिशत अंशदान देते हैं। इस कोष से जेल कर्मियों एवं परिजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा सकेंगे।

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान :

मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस

वर्ष स्नातक के 727, स्नातकोत्तर के 7, प्राथमिक शिक्षा के 764, माध्यमिक शिक्षा के 188, उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियेट के 458, कुल 2144 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वर्ष 2019 में 8544 बंदी सर्वशिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित हुए हैं।

5.3. आगामी योजनाएं :

(1) जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से जेल कर्मियों का जेल परिसर में निवास करना आवश्यक है। जेल कर्मी शासकीय आवासों की कमी के कारण जेल परिसर के बाहर निवास करते हैं। अतः प्रावधानों के विपरीत इस परिस्थिति को समाप्त करने हेतु शासकीय आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्ष 2019-20 में छिन्दवाड़ा में स्वीकृत नवीन जेल काम्पलेक्स में 100 बंदियों हेतु खुली जेल एवं नरसिंहपुर में 20 बंदियों हेतु खुली जेल का निर्माण कराया जा रहा है।

(3) जेल चिकित्सक संवर्ग में संविदा नियुक्ति :

प्रदेश की जेलों में जेल चिकित्सकों के 57 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 15 पद भरे हुए हैं, शेष 42 पद रिक्त हैं। जेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा आधार पर रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति सतत रूप से की जा रही है।

5.4 मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई महिला नीति के अंतर्गत जेल विभाग ने महिलाओं के लिए निम्नानुसार कार्य किए हैं :

5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण :

जेल में सजा काट रही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केन्द्रीय जेल इंदौर, सतना, बड़वानी, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर एवं रीवा तथा जिला जेल खरगौन, रतलाम, देवास, सीधी, बैढ़न, हरदा, रायसेन, मंदसौर, बैतूल, इन्दौर, धार, गुना, सिवनी एवं कटनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, गुड़िया, राखी बनाना, लिफाफा निर्माण, पेपर बैग, शोपीस बनाना, अचार बनाना, खिलौने, मिट्टी के दीपक एवं दोना बनाना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 808 महिलाओं ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि :

कुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 120 रूपए एवं अकुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 72 रूपए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

5.4.3. महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण :

महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को

विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुड़िया बनाना, कशीदाकारी, अगरबत्ती बनाना, फलावर मेकिंग, लिफाफा निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं एम्ब्रायडरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा :

प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में 261 महिला बंदी शामिल हुईं एवं 1273 महिला बंदियों को साक्षर बनाया गया है।

5.4.5. महिला कर्मचारियों के लिये सुविधाएं :

“मध्यप्रदेश विजन टू डिलीवर रोडमैप 2020–25” के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए सभी जेलों में चेंजिंग/कॉमन रूम, 97 पृथक महिला टॉयलेट, 114 महिला गार्ड रूम एवं 09 केन्द्रीय जेलों पर झूलाघर बनाने का प्रस्ताव है।

भाग - छः

जानकारी निरंक है।

भाग - सात सारांश

जेल विभाग अपने मुख्य दायित्व, बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्वहन करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें विविध सेवाएं प्रदान कर समाजोपयोगी बनाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार और तनाव को कम करने के उद्देश्य से योग एवं विभिन्न सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया गया है और पहले से शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। विभाग द्वारा जेलों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं तथा परिरुद्ध बंदियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही जेल कर्मियों को सुरक्षा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जेल विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से बंदियों के आचरण एवं उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनको दी जा रही शिक्षा एवं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वे जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे नागरिक की तरह पुनर्वासित हो रहे हैं।

जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष

क्रमांक	नाम	दूरभाष / मोबाईल		निवास स्थान
		कार्यालय	निवास	
1	2	3	4	5

विभागीय मंत्री :

1.	श्री बाला बच्चन गृह एवं जेल मंत्री E-Mail - osdhm1@gmail.com	2708081	2429863 2761555 9425010299	बी-27, 74 बंगले भोपाल
----	--------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------	--------------------------

मंत्रालय :

1.	श्री एस. एन. मिश्रा प्रमुख सचिव, जेल E-Mail - psjail@mp.gov.in	2708060	2420694 9827012820	डी-2 / 15, चार इमली भोपाल
2.	श्री राजीव चन्द्र दुबे सचिव E-Mail - secretary.health@mp.gov.in	2576008	9425011266	डी-11 / 6 चार इमली भोपाल
3.	श्री बी. एस. जामोद, अपर सचिव	2708370	9425091478	—
4.	श्री अजय नथानियल, अवर सचिव E-Mail - ajay.nathaniel@mp.gov.in	2708000-3206	9407545257	एम.आई.जी.-बी-47, जे.के.पार्क, ग्रीनवेली स्कूल के पास, कोलार रोड़ भोपाल
5.	श्री संतोष भार्गव अनुभाग अधिकारी जेल विभाग E-Mail - santosh.bhargav@mp.gov.in	2512494	9893352320	ई-2 / 259, असेरा कोलानी भोपाल

क्रमांक	अधिकारी का नाम	दूरभाष / मोबाईल		
		कार्यालय	निवास	निवास स्थान
1	2	3	4	5

जेल मुख्यालय :

1.	श्री संजय चौधरी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं E-Mail - dgjails@mp.gov.in	2558198 2576988 (फैक्स)	2443901 9425093191	4, अमलतास फेस-2 कोलार रोड़, भोपाल
2.	श्री सुधीर कुमार शाही अति. महानिदेशक जेल E-Mail - adgprisons@gmail.com	2558010	2431321 9479866201	डी-3/8, चार इमली, भोपाल
3.	श्री गाजीराम मीना अति. महानिदेशक जेल E-Mail - adgjaileasthhqbhopal@gmail.com	2558850	2426123 7049100536	डी 3/6, चार इमली भोपाल
4.	डॉ. सुहेल अहमद जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - dighjails@mp.gov.in	2573510	2431893 9425609334	सी-1 (जेल), चार इमली भोपाल
5.	श्री संजय पाण्डे जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - sanjay_26168@yahoo.com	2573518	2576252 9425170143	बंगला क्र. 2, जिला जेल परिसर, भोपाल
6.	श्री मंशाराम पटेल जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - dighqbhopal777@gmail.com	2557162	2559945 9406605588	डी-2, चार ईमली, भोपाल
7.	श्री यू. पी. सिंह वरिष्ठ विधि अधिकारी E-Mail - slojails@mp.gov.in	2573506	2422080 9425846394	ई 9/6, चार इमली, भोपाल
8.	श्री अखिलेश तोमर अधीक्षक, केन्द्रीय जेल E-Mail - jhqsupjails@mp.gov.in	—	9826937527	केन्द्रीय जेल, भोपाल परिसर करोद वायपास रोड़, भोपाल
9.	श्रीमती स्वाती त्रिपाठी संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा) E-Mail - jdfjhg@gmail.com	2557160	9425409991	अभिरूचि परिसर, सुभाष नगर, भोपाल
10.	श्री टी. एल. जधेंला सहायक लेखा अधिकारी	—	9425676685	जी- 3/124, 1100 क्वार्टर्स भोपाल
11.	श्री अनिल कुमार खरे उधोग अधीक्षक E-Mail - isjails@mp.gov.in	—	8818954112	53, ग्लोबस सिटी, चूना भट्टी, भोपाल

क्रमांक	अधिकारी का नाम	दूरभाष / मोबाईल		
		कार्यालय	निवास	निवास स्थान
1	2	3	4	5
12.	श्री संजीव खरे सहायक यंत्री E-Mail - aejails@mp.gov.in	2671244	2575587 9893145755	एफ 90 / 59, तुलसीनगर, भोपाल
13.	श्री अब्दुल रहमान खॉन सांख्यिकीय एवं अनुसंधान अधिकारी E-Mail - srojhg@yahoo.com	2557166	9425628567	11, जिन्सी, जहाँगीराबाद, भोपाल
14.	श्रीमती फूलवती ठाकुर कार्यालय अधीक्षक	2552348	9479967104	ए-19, आसरा एवेन्यू, कमला नगर, नरेरा शंकरा भोपाल
15.	नियन्त्रण कक्ष, जेल मुख्यालय	2675415 (टेली फेक्स)	—	

प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थान :

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाईल	
			कार्यालय	अधीक्षक / प्राचार्य निवास
1.	जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर	07582	261245	261243
2.	जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान कृष्णा नगर, भोपाल	0755	2742182	2551032

प्रदेश की जेलों के दूरभाष :

केन्द्रीय जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाईल		
			कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री गोपाल प्रसाद ताम्रकार अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर E-Mail - nscb.centraljailjabalpur@gmail.com	0761	2621752 (टेली फैक्स)	2620016	2678503 9425110201
2.	श्री डी. एस. अलावा अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बड़वानी E-Mail - centraljailbarwani@gmail.com	07290	222085 (टेली फैक्स)	222085	9425033687
3.	श्रीमती अलका सोनकर अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, उज्जैन E-Mail - jscjujn@mp.gov.in	0734	--	2581020 (टेली फैक्स)	2580821 9425063083
4.	श्री दिनेश नरगावे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल E-Mail - newjailbhopal@gmail.com	0755	2742250 (टेली फैक्स)	2742263	9826393191
5.	श्री संतोष सोलंकी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सागर E-Mail - sagarcentjail@gmail.com	07582	261245 (टेली फैक्स)	261245	261243 9425848853
6.	सुश्री शैफाली तिवारी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर E-Mail - jscjnnp@mp.gov.in	07792	236330 (टेली फैक्स)	236330	9425610688 9407513097
7.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह अधीक्षक केन्द्रीय जेल, सतना E-Mail - satnacentraljail@gmail.com	07672	251490	9425812876	7879442425
8.	श्री अनिल सिंह अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रीवा E-Mail - centraljailrewa@gmail.com	07662	252563 (टेली फैक्स)	252563	255335 7389521551
9.	श्री राकेश भांगरे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इंदौर E-Mail - jscjind@mp.gov.in	0731	2530577	2540020 (टेली फैक्स)	9827014018 7987104552
10.	श्री ऊषा राज अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद E-Mail - hbdjail30@gmail.com	07574	252428 (टेली फैक्स)	252428	252545 257852 (खण्ड "ब") 7247402118
11.	श्री मनोज कुमार साहू अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर E-Mail - jscjgwl@mp.gov.in	0751	2481921 (टेली फैक्स)	2481552	2481051 8319763462 8989485768

जिला जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल		
			कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री पूरन सिंह बडेरिया अधीक्षक, जिला जेल, दतिया	07522	237779	237779	233012 9479895472
			E-Mail - datiajail07522@gmail.com		
2.	श्री रमेश चन्द्र आर्य अधीक्षक, जिला जेल देवास	07272	9479969155	—	9300724275
			E-Mail - jsjdws@mp.gov.in		
3.	श्री आर. आर. डांगी अधीक्षक जिला जेल रतलाम	07412	236111	236111 (टेली फ़ैक्स)	8839153687
			E-Mail - jsdjrtm@mp.gov.in		
4.	श्री एस. के. उपाध्याय अधीक्षक, जिला जेल, धार	07292	222203	222203 222204 (फ़ैक्स)	232722 8349867296
			E-Mail - jsjdjhr@mp.gov.in		
5.	श्री विदित सिरवैया अधीक्षक, जिला जेल बालाघाट	07632	241360 (टेलीफ़ैक्स)	240359	8085127909
			E-Mail - jsdjbgt@mp.gov.in		
6.	श्री एस. के. ठाकुर अधीक्षक, जिला जेल सिवनी	07692	228114 (टेलीफ़ैक्स)	228065	9425446625
			E-Mail - jsajsni@mp.gov.in		
7.	श्री राजाराम सिंह अधीक्षक जिला जेल बैदण	07805	—	233191 (फ़ैक्स)	9926261552
			E-Mail - superintendent.jail@gmail.com		
8.	श्री ब्रजकिशोर कुडापे अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल	07141	234247	234247 (टेली फ़ैक्स)	9425437637
			E-Mail - jsdjbtl@mp.gov.in		
9.	श्री गिरधारी लाल औसारी, अधीक्षक, जिला जेल खरगौन	07282	235287	235287	9907590446
			E-Mail - girdharilalosari@gmail.com		
10.	श्रीमती लीना कोष्टा अधीक्षक, जिला जेल कटनी	07622	262215	262215 (टेलीफ़ैक्स)	9425693615
			E-Mail - katnijail@gmail.com		
11.	श्री जी. एल. नेटी अधीक्षक, जिला जेल शहडोल	07622	245207	245207 (टेलीफ़ैक्स)	9584487776
			E-Mail - dist.jailshahdol57@gmail.com		
12.	श्री दिनेश कुमार इमले, अधीक्षक, जिला जेल पन्ना	07732	252012	252012 (टेलीफ़ैक्स)	9575116818
			E-Mail - jailpanna@gmail.com		
13.	श्री भास्कर पाण्डे अधीक्षक जिला जेल, दमोह	07812	222184	222184 (टेली फ़ैक्स)	221648 7974689149
			E-Mail - districtjaildamoh@gmail.com		

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.		दूरभाष / मोबाइल	
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
14.	श्री कुलवंत सिंह धुर्वे अधीक्षक, जिला जेल सीधी	07822	250322	250322 (टेलीफैक्स)	7000608335
				E-Mail - supdt.jailsidhi056@gmail.com	
15.	श्री विकास कुमार सिंह अधीक्षक, जिला जेल राजगढ़	07372	255030	255030 (टेलीफैक्स)	254787 8280273430
				E-Mail - distjailrajgarh@gmail.com	
16.	श्री प्रभात चतुर्वेदी अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा	0733	2224172	2224172 (टेली फैक्स)	2229540 8744973198
				E-Mail - dcjailkhandwa@gmail.com	
17.	सुश्री अदिति चतुर्वेदी अधीक्षक, जिला जेल, इंदौर	0731	2701528	2701528 (टेली फैक्स)	9407110893
				E-Mail - disstjailindore@gmail.com	
18.	श्री यजुवेन्द्र बाघमारे, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा	07162	247325	247325 (टेली फैक्स)	244384 9039440230
				E-Mail - jsdjcdw@mp.gov.in	
19.	सुश्री हिमानी मनवारे अधीक्षक, जिला जेल रायसेन	07482		—	7987392730
				E-Mail - jsdirsn@mp.gov.in	
20.	श्री प्रतीक कुमार जैन अधीक्षक, जिला जेल, टीकमगढ़	07683	242324	242324 (टेली फैक्स)	9755303086
				E-Mail - tkgjail@mp.gov.in	
21.	श्री संजय सहलाम अधीक्षक, जिला जेल सीहोर	07562	226480	226480	9424492195
				E-Mail - jsdjsch@mp.gov.in	
22.	श्री जे. एस. बाथम, उप जेल अधीक्षक, जिला जेल अलीराजपुर	07394	233582	233512 (टेली फैक्स)	9425744822
				E-Mail - jsdjalp@mp.gov.in	
23.	श्री रामशिरोमणि पाण्डे उप अधीक्षक जेल जिला जेल, छतरपुर	07682	248210	248210 (टेली फैक्स)	248422 9425034064
				E-Mail - distjailchhatarpur@gmail.com	
24.	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा उप अधीक्षक जेल जिला जेल, झाबुआ	07392	243321	243321 244224 (फैक्स)	9926992064
				E-Mail - jail.jhabua@gmail.com	
25.	श्री गोपाल सिंह गौतम उप अधीक्षक जेल जिला जेल शाजापुर	07364	227584	227476 (टेलीफैक्स)	227584 9425124859
				E-Mail - jsdjsjp@mp.gov.in	
26.	श्री बी. एल. शुक्ला उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मुरैना	07532	226258	226258 400036 (फैक्स)	8827165293
				E-Mail - suptdistjailmorena@gmail.com	

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.		दूरभाष / मोबाइल	
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
27.	श्री पी. के. सिंह उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मंदसौर	07422	244226	244226	8770608910
			E-Mail - jsdjmns@mp.gov.in		
28.	श्री दिलीप सिंह उप अधीक्षक जेल, जिला जेल गुना	07542	252628	252628 (टेलीफैक्स)	9009899455
			E-Mail - supdtdisttjailguna@gmail.com		
29.	श्री अतुल सिन्हा, उप अधीक्षक जेल, जिला जेल शिवपुरी	07492	234153	234153	9425456934
			E-Mail - jailshivpuri@gmail.com		
30.	श्री ओमप्रकाश पाण्डे उप अधीक्षक जेल जिला जेल भिण्ड	07534	230802	2530802 (टेलीफैक्स)	7974921020
			E-Mail - distjailbhind@gmail.com		
31.	श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल विदिशा	07592	232862	232862	9425453434
			E-Mail - disttjailvidisha@gmail.com		
32.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल उप अधीक्षक जेल, जिला जेल मण्डला	07642	252172	252172	9425447816
			E-Mail - anilagrwal.jailor@gmail.com		
33.	डॉ. एल. के. त्रिपाठी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल नीमच	07423	226668	226668 (टेलीफैक्स)	9425076994
			E-Mail - jsdjmnh@mp.gov.in		
34.	श्री एस. ए. सिद्धकी उप अधीक्षक जेल, जिला जेल अशोकनगर	07543	220756	280756 (टेलीफैक्स)	9425489548
			E-Mail - asknjail@gmail.com		
35.	श्री व्ही. एस. मौर्य उप अधीक्षक जेल जिला जेल श्योपुर	07530	220573	220573	9425191824
			E-Mail - sheopurjail222@gmail.com		
36.	श्री महावीर सिंह रावत उप अधीक्षक जेल जिला जेल हरदा	07577	9425660063	295162	9827657988
			E-Mail - jsdjhrd@mp.gov.in		
37.	श्री एम.एस. मरावी उप अधीक्षक जेल जिला जेल उमरिया	07653	222321	222321	9926666233
			E-Mail - jilajailumaria@gmail.com		
38.	श्री राघवेश अग्निहोत्री उप अधीक्षक जेल जिला जेल अनूपपुर	07659	—	—	9425470741
			E-Mail - jilajanippur1505@gmail.com		

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.		दूरभाष / मोबाइल	
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
39.	श्री संतोष कुमार गणेशे उप अधीक्षक जेल जिला जेल डिण्डोरी	07644	280373	234747 (फैक्स)	9926217812
				E-Mail - shivamstddindori@gmail.com	
40.	श्री इन्दरसिंह नागर उप अधीक्षक जेल जिला जेल आगर	07362	258646	258646 (टेलीफैक्स)	8839026456
				E-Mail - jsdjagarmalwa@mp.gov.in	
41.	अधीक्षक, जिला जेल भोपाल	0755	2551932	2551932	—

सब जेल :

क्र	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष/मोबाईल	
			कार्यालय	निवास
1.	श्री गिरजाशंकर दुबे (देवास) सब जेल, कन्नौद	07273	287742	7987993315 E-Mail - subjailkannod@gmail.com
2.	श्री देवेन्द्र सिंह चंद्रावत (उज्जैन) सब जेल, खाचरौद	07366	273500	7999561642 E-Mail - jssjkhachrod@mp.gov.in
3.	श्री चंदरलाल परमार (मंदसौर) सब जेल, गरौठ	07425	238248	8225808916 E-Mail - jssjgaroth@mp.gov.in
4.	श्री मुनीन्द्र मिश्रा (रतलाम) सब जेल, जावरा	07414	229147	9406523260 E-Mail - subjailjawra@gmail.com
5.	श्रीमती कुसुमलता डाबर (अलीराजपुर) सब जेल, जोबट	07393	288229	9826207236 E-Mail - subjailjobat69@gmail.com
6.	श्री हीरालाल परमार (उज्जैन) सब जेल, तराना	07369	236070	9425192235 E-Mail - jssjtarana@mp.gov.in
7.	श्री योगेश शर्मा (राजगढ़) सब जेल, नरसिंहगढ़	07375	225543	9713779405 E-Mail - jssjnarsingarh@mp.gov.in
8.	श्री कमलेश राय (सतना) सब जेल, नागौद	07673	7673232237	9617636238 E-Mail - nagodsubjail@gmail.com
9.	श्री प्रहलाद सिंह बरकडे (होशंगाबाद) सब जेल, पिपरिया	07576	224424	7000797549 E-Mail - upjailpipariya@gmail.com
10.	श्री महेश शर्मा (शिवपुरी) सब जेल, पिछोर	07496	245632	9827365337 E-Mail - subjailpichhor@gmail.com
11.	श्री श्याम सिंह कुशवाह (शहडोल) सब जेल, बुढ़ार	07652	260072	9039715009 E-Mail - supdtsubjailburhar@gmail.com
12.	श्रीमती श्वेता मीणा (रायसेन) सब जेल, बेगमगंज	07487	272250	9907605297 E-Mail - jssjbegamganj@mp.gov.in 272211
13.	श्री रामनारायण नाग (बालाघाट) सब जेल, बैहर	07636	256482	9424632846 E-Mail - subjailbaihar16@gmail.com
14.	श्री मांगीलाल पटेल (छतरपुर) सब जेल, बिजावर	07608	7608253243	7617274071 E-Mail - jailbijawar@gmail.com
15.	श्री माखन सिंह मार्को (बालाघाट) सब जेल, वारासिवनी	07633	253384	9111584897 E-Mail - jssjwaraseoni@mp.gov.in

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक /सब जेल का नाम	जिले का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल कार्यालय	निवास
16.	श्री ऐश्वर्य मिश्रा सब जेल, मंडलेश्वर	(खरगौन)	07283	233444	7747830574
				E-Mail - subjailmandleshwar@gmail.com	
17.	श्री विनय काबरा सब जेल, महिदपुर	(उज्जैन)	07385	251095	9424020909
				E-Mail - jssjmahidpur@mp.gov.in	
18.	श्री रामगोपाल पाल सब जेल, मेहगांव	(भिण्ड)	07527	—	8964038777
				E-Mail - jssjmehgaon@mp.gov.in	
19.	श्री मितेन्द्र सोनकर सब जेल, मुल्ताई	(बैतूल)	07147	224541	7747830574
				E-Mail - supdtofsubjailmultai@gmail.com	
20.	श्री रामजी त्रिपाठी सब जेल, मैहर	(सतना)	07674	7674232130	9425869390
				E-Mail - supdtsubjailmaiher@gmail.com	
21.	श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह (मुरैना) सब जेल, सबलगाढ़		07536	252379	9826247273
				E-Mail - jssjsabalgah@mp.gov.in	
22.	श्री ए. एस. नरवरिया सब जेल, सरदारपुर	(धार)	07296	235300	9575447347
				E-Mail - subjailsardarpur@gmail.com	
23.	श्री दिलीप नायक सब जेल, सिहोरा	(जबलपुर)	07624	230597	9406653093
				E-Mail - jssjsihora@mp.gov.in	
24.	श्री हरिओम शर्मा सब जेल, सिवनीमालवा	(होशंगाबाद)	07570	220008	9516831447
				E-Mail - seonimalwasubjail@gmail.com	
25.	श्री अजय वर्मा सब जेल, सेंधवा	(बड़वानी)	07281	222093	9826517773
				E-Mail - subjailsendhwa@gmail.com	
26.	श्री संतोष गौर सब जेल, नसरुल्लागंज	(सीहोर)	07563	276288	7869392942
				E-Mail - jsnasrullahganj@mp.gov.in	
27.	श्री अमरनाथ कटियार सब जेल, लहार	(भिण्ड)	07529	252023	9993845261
				E-Mail - laharjail@gmail.com	
28.	श्री अनिल कुमार पाठक सब जेल, लवकुशनगर	(छतरपुर)	07687	251273	9893091291
				E-Mail - supdtsubjail.lavkushnagar@gmail.com	
29.	श्री एडवर्ड स्वामी सब जेल, अमरवाड़ा	(छिंदवाड़ा)	07167	—	8319861742
				E-Mail - jssjamarwara@mp.gov.in	
30.	श्री गणेश कुमार सिंह सब जेल, लखनादौन	(सिवनी)	07690	240750	8770385632
				E-Mail - jssjlakhnadon@mp.gov.in	
31.	श्री हेमेन्द्र बागरी सब जेल, पाटन	(जबलपुर)	07621	294001	8959379061
				E-Mail - subjailpatan2007@gmail.com	

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक /सब जेल का नाम	जिले का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष/ कार्यालय	मोबाईल निवास
32.	श्री उम्मेद सिंह माहुने सब जेल, जावद	(नीमच)	07420	281976	9926243511
				E-Mail - jssjjawad@mp.gov.in	
33.	श्री भीमसिंह रावत सब जेल, सैलाना	(रतलाम)	07413	278583	9407528641
				E-Mail - jssjsailana@mp.gov.in	
34.	श्री मनोज चौरसिया सब जेल, महुं	(इंदौर)	07324	9009612533	9009612533
				E-Mail - subjailmhow123@gmail.com	
35.	श्री जसमनसिंह डाबर सब जेल, कसरावद	(खरगौन)	07285	231361	9770325891
				E-Mail - subjailkasrawad10@gmail.com	
36.	श्री आर. एस. कुशवाह सब जेल, देपालपुर	(इंदौर)	07322	222555	9617088115
				E-Mail - subjaildepalpur@gmail.com	
37.	श्री रोहीदास पिकले सब जेल, बागली	(देवास)	07271	290985	6261232391
				E-Mail - jssjbagli@mp.gov.in	
38.	सुश्री हेमसरिता मिंज सब जेल, गोहद	(भिंड)	07539	222413	9754711711
				E-Mail - subjailgohad@gmail.com	
39.	श्री सुनीत शर्मा सब जेल, अम्बाह	(मुरैना)	07538	275235	9425148672
				E-Mail - subjailambah1993@gmail.com	
40.	श्री आशीष कुमार खरे सब जेल, जतारा	(टीकमगढ़)	07681	254033	9806942244
				E-Mail - jssjjatara@mp.gov.in	
41.	श्री फईम खान सब जेल, कोलारस	(शिवपुरी)	07494	242154	9926279555
				E-Mail - subjailkolaras@gmail.com	
42.	श्री बाबूलाल माहौर सब जेल, जौरा	(मुरैना)	07532	245055	7869831386
				E-Mail - jssjjoura@mp.gov.in	
43.	श्री संजय शर्मा सब जेल, सारंगपुर	(राजगढ़)	07371	291080	9826651134
				E-Mail - jssjsarangpur@mp.gov.in	
44.	श्री ज्ञानांशु भारती सब जेल, नौगांव	(छतरपुर)	07685	256667	9425656222
				E-Mail - nowgongjail@gmail.com	
45.	श्री निर्भय सिंह राठौर सब जेल, सांवेर	(इंदौर)	07321	220001	9179243474
				E-Mail - subjailsanwer@gmail.com	
46.	श्री नरेन्द्र कटारे सब जेल, डबरा	(ग्वालियर)	07524	225160	9826784715
				E-Mail - jssjdabra@mp.gov.in	
47.	श्री विकास कुमार जैन सब जेल, निवाड़ी	(टीकमगढ़)	07680	232504	8839477828
				E-Mail - niwarijail@gmail.com	

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम		एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल	
	/सब जेल का नाम			कार्यालय	निवास
48.	श्री एस. बी. सिंह	(शहडोल)	07650	262430	9575762805
	सब जेल, ब्यौहारी		E-Mail - jailbeohari@gmail.com		
49.	श्री सुनील शर्मा	(शिवपुरी)	07493	253309	9575177591
	सब जेल, करेरा		E-Mail - subjailkarera@gmail.com		
50.	श्री नवीन कुमार नेमा	(विदिशा)	07594	6263880265	9425879529
	सब जेल, गंजबासौदा		E-Mail - jyotitiwari816@gmail.com		
51.	श्री आशीष मंजना	(रायसेन)	07480	274393	9669773436
	सब जेल, गौहरगंज		E-Mail - subjailgoharganj@gmail.com		
52.	श्री विनय गढ़वाल	(रायसेन)	07486	231260	9630862609
	सब जेल, बरेली		E-Mail - subjailbareli@gmail.com		
53.	श्री शिवपाल पारोदिया	(शाजापुर)	07360	9770785161	9770785161
	सब जेल, शुजालपुर		E-Mail - jssjshujalpur@mp.gov.in		
54.	श्री रमेश कुमार मरावी	(विदिशा)	07590	276200	9977945822
	सब जेल, लटेरी		E-Mail - laterijail@gmail.com		
55.	श्री कमल किशोर कोरी	(दमोह)	07604	264030	9893222668
	सब जेल, हटा		E-Mail - jssjhatta@mp.gov.in		
56.	श्री हेमंत नागर	(दतिया)	07521	280438	7974766714
	सब जेल, सेवढा		E-Mail - subjailseondha1144@gmail.com		
57.	श्री निर्भय कुमार	(सागर)	07581	290133	9827575427
	सब जेल, खुरई		E-Mail - subjailkhurai@gmail.com		
58.	श्री डी. डी. धुर्वे	(शाजापुर)	07361	233859	8989257038
	सब जेल, सुसनेर		E-Mail - subjailsusner@gmail.com		
59.	श्री मुकेश मांझी	(शिवपुरी)	07490	—	8959928778
	सब जेल, पोहरी		E-Mail - subjailpohari@gmail.com		
60.	श्रीमती महालक्ष्मी सिंह	(धार)	07291	280188	9425425799
	सब जेल, धरमपुरी		E-Mail - subjaildharampuri@gmail.com		
61.	श्री श्यामलाल वर्मा	(खरगौन)	07280	8120448383	7354342211
	सब जेल, बड़वाह		E-Mail - jssjbarwaha@mp.gov.in		
62.	श्री मयंक यादव	(सागर)	07585	290000	8839509490
	सब जेल, रहली		E-Mail - subjailrehli@gmail.com		
63.	श्री मनीष पवार	(गुना)	07546	240980	7974835549
	सब जेल, चाचौड़ा		E-Mail - Subjailchachoda50@gmail.com		

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष/मोबाईल कार्यालय	निवास
64.	श्री गणेश सिंह (रीवा) सब जेल, मऊगंज	07663	203477	9893515559 E-Mail - jssjmauganj@mp.gov.in
65.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव (सागर) सब जेल, बंडा	07583	280512	8225802545 E-Mail - bandasubjail@gmail.com
66.	श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह (पन्ना) सब जेल, पवई	07733	282224	9425382072 E-Mail - kuldeepthakur180@gmail.com
67.	श्री संजय परमार (धार) सब जेल, मनावर	07294	232440	9424805911 E-Mail - subjailmanawar2015@gmail.com
68.	श्री कमल पलासिया (धार) सब जेल, बदनावर	07295	290062	8959344385 E-Mail - jssjbadnawar@mp.gov.in
69.	श्री ऐश्वर्य मिश्रा (खरगोन) सब जेल, महेश्वर	07283	233444	7747830574 E-Mail - subjailmaheshwar@gmail.com
70.	श्री सुरेन्द्र सिंह राणावत (देवास) सब जेल, सोनकच्छ	07270	290450	7987426381 E-Mail - jssjsonkatch@mp.gov.in
71.	श्री कल्याण सिंह खांडे (शयोपुर) सब जेल, विजयपुर	07528	266518	9594727708 E-Mail - subjailvijpur@gmail.com
72.	श्री शशांक सिंह (रीवा) सब जेल, त्योथर	07661	486220	8224800885
73.	श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी (उज्जैन) सब जेल, बड़नगर	07367	—	9009231587



मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2019-20



सजग, सुरक्षा, सावधान



विभागीय
प्रशासकीय
प्रतिवेदन
वर्ष 2019-2020

जेल विभाग, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारी	1
2.	भाग—एक	
1.	विभागीय संरचना	2—15
1.1	विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना	
1.2	अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेलों) की जानकारी	
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	
1.4	विभाग के दायित्व	
1.5	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	
1.5.1	बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार	
1.5.2	कर्मचारियों को प्रशिक्षण	
1.5.3	जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग	
1.5.4	ई-प्रिजन कार्यक्रम	
1.5.5	ई-प्रिजन लैब	
1.5.6	इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग	
1.5.7	जेल मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना	
1.5.8	तकनीकी शाखा	
1.5.9	विधिक सहायता	
1.5.10	स्वास्थ्य परीक्षण	
1.5.11	जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक	
1.5.12	बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा	
1.5.13	जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान	
1.5.14	आधुनिक मुलाकात व्यवस्था	
1.5.15	बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	
1.5.16	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा	
1.5.17	बंदियों को शैक्षणिक सुविधा	
1.5.18	सांस्कृतिक कार्यक्रम	
1.5.19	आध्यात्मिक कार्यक्रम	
1.5.20	योग प्रशिक्षण	
1.5.21	प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति	
1.6.	विभाग की प्राथमिकताएं	
1.7.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	
1.7.1	जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या	
1.7.2	विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण	

	1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण	
	1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण	
3	भाग—दो	16
	2.1 बजट सिंहावलोकन	
	2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	
4.	भाग—तीन	17—18
	राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.1. राज्य योजनाएं	
	3.2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.3 अन्य योजनाएं	
5.	भाग—चार	19
	सामान्य प्रशासनिक विषय	
	1. जांच समिति / आयोग	
	2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	
6.	भाग—पांच	19—22
	अभिनव प्रयास	
	5.1. अभिनव प्रयास	
	5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान	
	5.3. आगामी योजना	
	5.4. मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य	
	5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	
	5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि	
	5.4.3 महिलाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण	
	5.4.4 महिला बंदियों के लिए शिक्षा	
	5.4.5 महिला कर्मचारियों के लिये सुविधाएं	
7.	भाग—छः	23
	विभाग के प्रकाशन	
8.	भाग—सात	23
	सारांश	
9.	जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष	24—36